न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 26/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/111

अपीलाण्ट्स :–

1. कमला देवी उर्फ कमली पुत्री सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला पत्नी रावाराम, निवासी आम चौराहा, किशनगढ़ जिला जालोर (राज.)
2. सन्धू उर्फ चन्दूड़ी पुत्री सेकाराम उर्फ सेखला पत्नी प्रकाश निवासी सेदरिया तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
3. सुजुकी देवी पुत्री सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला पत्नी कनाराम, निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. जमना देवी पत्नी सेकाराम उर्फ सेखा उर्फ सेखला
2. राजाराम पुत्र सेकाराम उर्फ सेका उर्फ सेखला
3. दरिया देवी पत्नी अमराराम
4. मोहिनी पुत्री अमराराम
5. रिंकू देवी पुत्री अमराराम
6. श्रवण पुत्री अमराराम
   निवासी धींगाणा, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)
7. अम्बा पुत्र बुधा निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
8. तुलसी देवी पत्नी धनाराम निवासी मकान संख्या 01 कॉलोनी, सेन्दरिया तहसील रोहट जिला पाली
9. भूरा पुत्र मुकना, निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
10. भूरिया पुत्र बुधा निवासी धींगाणा, तहसील रोहट जिला पाली
11. रणछोड़ पुत्र जेपा निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
12. सोना पुत्र मुकना निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
13. हरकू देवी पत्नी रणछोड़राम निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
14. सुकी पत्नी मगाराम निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली
15. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह, निवासी रावणा राजपूतों का बास भाद्राजून जालौर
16. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान
रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **24.11.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 281 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान व रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स को जारी सम्मन तामील होने के बावजूद वक्त बहस न्यायालय समय में बार–बार आवाजे लगाये जाने पर न्यायालय में अनुपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 123/1, 123/2, खसरा संख्या 108 व खसरा संख्या 109, खसरा संख्या 194/1 व खसरा संख्या 194/2 कुल रकबा 163 बीघा 17 बिस्वा ग्राम धींगाणा पटवार हल्का कुलथाणा तहसील रोहट में आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट संख्या 01, अपीलाण्ट संख्या 02 व अपीलाण्ट संख्या 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद केवल सेखला के उत्तराधिकारी जमना, राजाराम एवं अमराराम के पक्ष में स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् जब अमराराम का देहान्त होने पर अमराराम के हक हिस्से का नामान्तरकरण उसके विधिक उत्तराधिकारियों रेस्पो. संख्या 01 से 04 के नाम जैर नामान्तकरण स्वीकृत किया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपींलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर नामान्तरकरण खारिज करने के आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 14 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 14 सूकी पत्नी मगाराम जाति प्रजापत निवासी धींगाणा तहसील रोहट जिला पाली ने एक खातेदारी व कब्जाशुदा कृषि भूमि जो सरहद मौजा धींगाणा पटवार हलका कुलथाना, तहसील रोहट जिला पाली में स्थित है। उक्त कृषि भूमि रेस्पो. संख्या 01 दरिया की जिसके खसरा संख्या 123/2 रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही प्रथम भूमि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से बेचाणकर्ता दरियादेवी पत्नी स्व. अमराराम द्वारा मुझ रेस्पोडेण्ट संख्या 14 को कुल भूमि में से रकबा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दी जिसके फलस्वरूप उक्त हिस्से का नामान्तरकरण मेरे नाम से स्वीकृत कर दिया एवं जमाबन्दी में नया खसरा संख्या 223/123 दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात

आज दिन तक मेरा निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर मेरा रहवासीय पक्का मकान बना हुआ है। दरियादेवी ने अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु अपने हिस्से की भूमि में से कुछ हिस्से का अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड सुकीदेवी को बेचान किया था, जिसमें किसी अन्य खातेदार का कोई लेना देना नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि खसरा संख्या 223/123 के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां एक अपील भी लम्बित है जिसमें उक्त खसरान् की भूमि पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा जमाबन्दी में नोट भी लगा हुआ है। अतः अब इस स्तर पर उक्त अपील में कोई भी आदेश पारित करना विधि के विरूद्ध व न्याय की मूल भावना के विपरीत होगा। अतः जैर अपील मिथ्या तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुई है। जिससे उक्त अपील को सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा जाब्ता के आवेदन, अखंडित शपथ–पत्र एवं समायतशुदा बहस के आधार हम प्रार्थना–पत्र दफा 05 एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह कि अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 123/1, 123/2, खसरा संख्या 108 व खसरा संख्या 109, खसरा संख्या 194/1 व खसरा संख्या 194/2 कुल रकबा 163 बीघा 17 बिस्वा ग्राम घींगाणा पटवार हल्का कुलथाणा तहसील रोहट में आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट संख्या 01, अपीलाण्ट संख्या 02 व अपीलाण्ट संख्या 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद केवल सेखला के उत्तराधिकारी जमना, राजाराम एवं अमराराम के पक्ष में स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् जब अमराराम का देहान्त होने पर अमराराम के हक हिस्से का नामान्तरकरण उसके विधिक उत्तराधिकारियों रेस्पो. संख्या 01 से 04 के नाम जैर नामान्तकरण स्वीकृत किया जो काबिले खारिज है। विपक्षी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14 द्वारा लिखित बहस में उनका मुख्य उज्र यह रहा कि रेस्पो. संख्या 14 सूकी पत्नी मगाराम ने रेस्पो. संख्या 03 दरिया से जिसके खसरा संख्या 123/2 रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही प्रथम भूमि में से द्वारा मुझे कुल भूमि में से रकबा 10 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दी जिसके फलस्वरूप उक्त हिस्से का नामान्तरकरण मेरे नाम से स्वीकृत कर दिया एवं जमाबन्दी में नया खसरा संख्या 223/123 दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि खसरा संख्या 223/123 के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां एक अपील भी लम्बित है जिसमें उक्त खसरान् की भूमि पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा जमाबन्दी में नोट भी लगा हुआ है। अतः अब इस स्तर पर उक्त अपील में कोई भी आदेश पारित करना विधि के विरूद्ध व न्याय की मूल भावना के विपरीत होगा।

जिला कलेक्टर, पाली

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं लिखित बहस का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तो हमने पाया कि मृतक सेखला के उत्तराधिकारी अमराराम की पत्नी रेस्पो. संख्या 03 द्वारा विरासत से प्राप्त अपने हक हिस्से की भूमि में से 10 बिस्वा भूमि रेस्पो. संख्या 14 सूकी को अपने जीवनकाल में बेचान कर दी जिससे उक्त 10 बिस्वा भूमि के नये खसरा संख्या 223/123 दर्ज हुए। खसरा संख्या 223/123 की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त खसरा संख्या से संबंधित एक वाद राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में

विचाराधीन है एवं उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया गया है एवं उक्त स्थगन आदेश का खसरा संख्या 223/123 की जमाबन्दी में अंकन किया गया है। जिससे प्रकरण में स्पष्ट है कि जब विवादित खसरान से संबंधित मूल खसरा संख्या का पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय में अपील लम्बित है एवं उक्त अपील में स्थगन आदेश भी जारी किया गया है तो अब न्यायालय हाजा उक्त नामान्तरकरण अपील जो कि एक summary proceeding है, में अपने स्तर पर किसी प्रकार का निर्णय करना उचित नहीं समझता क्योंकि हस्तगत नामान्तरकरण अपील में निर्णय करना, वादों की बहुलता उत्पन्न करना होगा। चूंकि इस मामले में जैर आराजी से संबंधित प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते समान भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण अपील की आड में अधिकारों का निर्धारण किया जाना किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी जैर अपील में अथवा वक्त बहस कहीं भी यह तथ्य उजागर नहीं किया है कि उक्त खसरान के संबंध में किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भावित एवं साफ हाथों से नहीं आये है बल्कि गलत तथ्यों पर आधारित अपील पेश की है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है या तथ्य छुपाता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है। ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है। अतः उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत ग्राम धींगाणा के नामान्तरकरण संख्या 281 दिनांक 24.12.2010, जो कि एक summary proceeding है में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

लिहाजा अपील–अपीलाण्ट हमारे द्वारा उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है एवं ग्राम धींगाणा के नामान्तरकरण संख्या 281 दिनांक 24.12.2010 को यथावत रखा जाता है। साथ ही अपीलाण्ट को परामर्श दिया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायायल में पूर्व से विचाराधीन अपील में विधिवत पक्षकार संयोजित होकर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक **24.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली